

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. :- 18/2021 (2021/36)

प्रार्थीगण

1. सगताराम उर्फ शक्तिराम पुत्र बीजाराम दर्जी, उम्र 74 वर्ष, निवासी कुई जोधा, ग्राम पंचायत कुई ईन्दा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. घेवरराम पुत्र पुरखाराम दर्जी, उम्र 45 वर्ष, निवासी कुई जोधा, ग्राम पंचायत कुई ईन्दा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत कुई ईन्दा सरपंच ग्राम पंचायत तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. श्रवण कुमार पुत्र भीखाराम दर्जी, निवासी ग्राम कुई जोधा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
3. अशोक कुमार पुत्र भीखाराम दर्जी, निवासी ग्राम कुई जोधा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरुद्ध पंचायत निर्णय दिनांक 21.05.2017 बअन्तर्गत मिसल संख्या 05 एवं 06/2017 एवं उसके अनुसरण में जारी करने पट्टा संख्या 05 व 06 दिनांक 21.05.2017 एवं मिसल संख्या 100 पट्टा संख्या 1753 दिनांक 20.09.2010 ग्राम पंचायत कुई ईन्दा पंचायत समिति बालेसर जिला जोधपुर।

उपस्थिति

1. अधिवक्ता श्री रिडमलखां मेहर (प्रार्थीगण)।
2. अधिवक्ता श्री करणसिंह (अप्रार्थी संख्या 01)
3. अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति (अप्रार्थी संख्या 02 व 03)।

आदेश

दिनांक :-13.02.2023

प्रार्थीगण द्वारा यह पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 पंचायत निर्णय दिनांक 21.05.2017 बअन्तर्गत मिसल संख्या 05 एवं 06/2017 एवं उसके अनुसरण में जारी करने पट्टा संख्या 05 व 06



दिनांक 21.05.2017 एवं मिसल संख्या 100 पट्टा संख्या 1753 दिनांक 20.09.2010 ग्राम पंचायत कुई ईन्दा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में जारी किया गया, के विरुद्ध पेश की गई है, निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत कुई ईन्दा से मूल अभिलेख भी तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री करणसिंह तथा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति ने वकालतनामा पेश किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की दिनांक 30.01.2023 को बहस सुनी गई।

प्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि जैर निगरानी पंचायत के आदेश दिनांक 20-09-2010 एवं दिनांक 21.05.2017 को ग्राम पंचायत कुई द्वारा मिसल संख्या 100 पट्टा संख्या 1753 एव पट्टा एवं मिसल संख्या 05 एवं 06/2017 विधि विरुद्ध मनमाना व अधिकार विहिन है। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के हक में जैर निगरानी आदेश दिनांक 20.09.2010 एवं 21.05.2017 पंचायत राज नियमों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है। निर्णय दिनांक 21.05.2017 पारित करने से पूर्व मिसल को ग्राम पंचायत की साधारण सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पंचायत की साधारण सभा के किसी प्रस्ताव के बिना ही पट्टा संख्या 05 एवं 06 व जैर निगरानी आदेश पारित किया गया है। कानूनन नियम 157 के तहत पंचायत की साधारण सभा द्वारा नियमन का निर्णय किया जाना आवश्यक है, जबकि हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी आदेश बाले बाले पंचायत के निर्णय की बैठक के बिना ही पारित किया गया है। जैर निगरानी आदेश व पट्टा संख्या 05 व 06 पारित करने से पूर्व पंचायत राज नियमों में निहित प्रक्रिया की पालना नहीं की गई एवं नियमों का उल्लंघन करते हुए जैर निगरानी आदेश पारित किया गया है। मिसल के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 02 व 03 द्वारा अपनी भूमि का पट्टा जारी करने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया जबकि इसी भूमि का पट्टा संख्या 1753 मिसल संख्या 100/2010-11 जरिये अप्रार्थी संख्या 03 के नाम अलग जारी सुदा है। इस प्रकार से जिस भूमि का पट्टा पूर्व में ही जारी है उसके बावजूद सरकारी खाली भूमि जिस पर कोई निर्माण नहीं है को पुश्तैनी बताकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। पूर्व के पट्टे में पड़ौस एवं जैर निगरानी पट्टे में पड़ौस के अनुसार एक ही भूमि का दुबारा पट्टा पास में पड़ी खाली आबादी भूमि को हड़प करने की नीयत से बनाया है। जिस समय पट्टा जारी किया गया उस समय अप्रार्थी अशोक कुमार इसी ग्राम पंचायत में ग्राम सहायक के पद पर कार्यरत था। इसलिये नियमों को ताक में रख कर जैर

निगरानी पट्टा जारी किया गया है जबकि उक्त भूमि अप्रार्थी की पुश्तैनी नहीं थी। अतः निगरानीधीन पट्टा विलेख निरस्त करने योग्य हैं।

प्रार्थीपक्ष ने बहस में आगे बतलाया कि नियम 157 के तहत पुराने निर्मित मकानों का ही नियमन किया जा सकता है परन्तु मिसल के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नियमन सुदा भूमि पर मकान बने होने का कोई उल्लेख नहीं है बल्कि खाली भूमि का नियमन किया गया है जो कि पूर्णतया नियमों के विरुद्ध है। मिसल के साथ जो नक्शा बना हुआ है उस नक्शे पर ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है, इस प्रकार से अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने मनमर्जी से नक्शा बनाया है, साथ ही उस पर अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के भी हस्ताक्षर नहीं है। नियम 146(3) के तहत जो निरीक्षण का प्रपत्र तैयार किया गया है वह भी फर्जी है क्योंकि निरीक्षण कमेटी के जिन सदस्यों के हस्ताक्षर किए गये हैं उस कमेटी का गठन ग्राम पंचायत की साधारण सभा द्वारा नहीं किया गया है। नियम 148 के तहत जो आपति इशतिहार जारी किया गया है उसमें मिसल संख्या व भूमि की स्थिति को प्रकट ही नहीं किया गया। निरीक्षण के प्रपत्र में भूमि का स्थान नहीं बताया गया है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत व अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने मिलकर सम्पूर्ण फर्जीवाड़ा किया है उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 02 व 03 का पच्चास वर्ष पुराना कब्जा बताया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की आयु मात्र 40-42 वर्ष है। स्वीकृत रूप से जैर निगरानी आदेश में वर्णित भूमि अप्रार्थी संख्या 02 की पुश्तैनी भूमि नहीं है एवं ना ही अप्रार्थी संख्या 02 व 03 का गत 40 वर्षों से कोई निर्माण किया हुआ है इसलिये कानूनन उपरोक्त भूमि का विक्रय नियम 157 के तहत नहीं हो सकता, बल्कि निलामी के जरिये ही किया जा सकता था। जैर निगरानी आदेश में वर्णित भूमि बेशकीमती व लगभग 10 लाख रुपये मूल्य की है परन्तु ग्राम पंचायत ने नियमों के विपरीत जाकर नियम 157 के तहत नियमन किया है जिससे राजस्व में भारी नुकसान हुआ, वादगगस्त भूखण्ड नियम 154, 156 व 159 के तहत ही विक्रय हो सकता था परन्तु ग्राम पंचायत व अप्रार्थी ने मिलावट करके अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के हक नियम 157 के तहत नियमन किया है, जो पूर्णतया विधि विरुद्ध है। ग्राम पंचायत ने पंचायतराज नियमों का उल्लंघन करते हुए नियम 157 ख के तहत 200/- अक्षरे रुपये दो सौ मात्र की रसीद के एवज में पट्टा जारी किया है, जबकि मौके पर किसी प्रकार का निर्माण पुराना या नया नहीं था एवं न ही रेस्पोंडेन्ट का कभी उक्त भूमि पर कब्जा रहा है इसलिए पट्टा प्रस्ताव व मिसल कार्यवाही काबिले निरस्त योग्य है।

प्रार्थीपक्ष ने बहस के अन्त में बतलाया कि प्रार्थी/निगरानीकार व्यथित पक्षकार है एवं उक्त पट्टा जारी करने से प्रार्थीगण अपने मकान के अधिकार से वंचित हो गए हैं। वादग्रस्त भूमि नजूल भूमि है जिस पर अप्रार्थी सं० 02 व 03 का कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद अप्रार्थी सं० 02 व 03 ने अपने नाम पट्टा जारी करवा लिया। पट्टा संख्या 1773 जो कि पूर्व में अप्रार्थी संख्या तीन के नाम से इसी भूमि का अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जारी किया हुआ है तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या एक ने उसी भूमि के दो पट्टे अप्रार्थी संख्या दो व तीन के नाम पट्टा संख्या 05 व 06 दिनांक 21.05.2017 को जारी किया गया है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में अप्रार्थी संख्या दो व तीन के पिता भीखाराम के नाम से दिनांक 14.12.1999 को मिसल संख्या 1/1999 जारी किया जिसके पडौस में निगरानीकार का बाड़ा होना बताया गया तत्पश्चात् अप्रार्थी ग्राम पंचायत में गैर आबादी राजकीय भूमि में पट्टा संख्या 1773 अप्रार्थी संख्या दो व तीन के पिता भीखाराम के नाम नेशनल हाईवे पर जारी किया, इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या एक द्वारा उक्त भूमि का पट्टा अशोक कुमार अप्रार्थी संख्या तीन के नाम पट्टा संख्या 1753 जारी किया तथा उसी भूमि के दो अलग-अलग पट्टे अप्रार्थी संख्या दो व तीन के नाम जारी किया जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त करने योग्य है। बहस के अन्त में जैर निगरानी आदेश दिनांक 21-05-2017 बअनवान अनवान मिसल संख्या 05/2017 एवं 06/2017 द्वारा ग्राम पंचायत कुई ईन्दा पंचायत समिति समिति बालेसर एवं समस्त कार्यवाही जिसके अनुसार पट्टा संख्या 05 व 06 जारी किया गया है, को निरस्त करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थीसंख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि जहां तक अप्रार्थीगण के पक्ष में पूर्व में जारी पट्टों पर नया पट्टा जारी करने का प्रश्न है तो पूर्व में जारी पट्टे को जमा करवाकर उसी भू-भाग/जायदाद का पट्टा अलग-अलग अप्रार्थीगण के नाम से जारी किया गया है, इस बाबत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना भी जारी कर रखी है कि जिस भू-भाग का पट्टा पूर्व में जारी किया हुआ है उसी भू-भाग के लिए पारिवारिक सदस्य सहमति से नया पट्टा जारी करवाना चाहते हैं तो पूर्व में जारी पट्टे को जमा करवाकर नया पट्टा जारी करवा सकते हैं। इस प्रकार उक्त निगरानीधीन पट्टे भी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम से नये पट्टे जारी किए गये हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता नहीं है। प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गए हैं जिससे साबित होता हो कि निगरानीधीन पट्टा आबादी भूमि में जारी नहीं किया जाकर राजकीय भूमि में जारी किया गया हो। ग्राम पंचायत द्वारा संधारित मिसल से स्पष्ट है कि निगरानीधीन पट्टा आबादी भूमि में

जारी किया गया है तथा मौके पर अप्रार्थी का पक्का मकान वर्षों से बना हुआ है तथा अप्रार्थी का कब्जा शुरू से चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की पंचायत निगरानी निरस्त योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने बहस में आगे बतलाया कि दो अलग-अलग आदेशों/पट्टा विलेखों की एक ही निगरानी पोषणीय नहीं है। उक्त निगरानी में पट्टा संख्या 05 व 06 को एक साथ चुनौती दी है जबकि दोनों के लिए अलग-अलग मिसल कायम हुई है तथा भिन्न-भिन्न आदेश व प्रक्रिया अपनाकर पट्टे जारी किए गए हैं। इन परिस्थितियों में दो अलग-अलग आदेशों की एक निगरानी कानूनी रूप से पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने निरन्तर बहस में बतलाया कि जहां तक कानूनन स्थिति है निगरानी में न्यायालय को अधीनस्थ पंचायत राज संस्था के किसी संकल्प या आदेश की वैधानिकता एवं औचित्य का परीक्षण करना है उसके लिए प्रस्तुत मिसल एवं प्रक्रिया को देखे तो उसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है। प्रार्थीगण ने काल्पनिक कथनों के आधार पर उक्त निगरानी पेश की है जो खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर भी मनन किया। ग्राम पंचायत कुई ईन्दा से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। बैठक कार्यवाही रजिस्टर व मिसल का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 02 व 03 द्वारा ग्राम पंचायत में विक्रय विलेख हासिल करने हेतु आवेदन किया गया उसमें अप्रार्थीगण ने नहीं बतलाया कि जिस भूमि का पट्टा जारी करना है वो अप्रार्थी का पुश्तैनी बाड़ा, पुश्तैनी गृह या भूखण्ड है। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के आवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा लिये गये प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 21.03.2017 को आबादी भूमि का पट्टा विलेख देने हेतु राज0 पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 के तहत मौका निरीक्षण करने हेतु पंचो की तीन सदस्त कमेटी का गठन किया गया तथा उक्त मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार कर ग्राम पंचायत के समक्ष पेश की गई। उक्त मौका रिपोर्ट में भी मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा नहीं बतलाया गया कि अप्रार्थी को पुराने गृह, पुश्तैनी बाड़ा या भूखण्ड का पट्टा दिया जा रहा है। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा नियम 148 के तहत सार्वजनिक आपत्तियाँ आमंत्रित करने का नोटिस जारी करने का प्रस्ताव लिया गया। पंचायत के निर्णय में आपत्तियाँ आमंत्रित करने के नोटिस में अपीलधीन पट्टों में वर्णित भूमि का खुलासा नहीं किया गया। नियत अवधि

में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियम 157 के तहत पट्टा शुल्क राशि 260/- रुपये जमा कराने के निर्देश दिये गये।

चूँकि राज0 पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों का विनियमितिकरण करने का ही प्रावधान है तथा 50 वर्ष तक पुराने मकान होने पर 100/- रुपये लेकर गृह विनियमितिकरण का प्रावधान है। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टे नियम 157 के तहत जारी किये गये, परन्तु नियम 157 के तहत पुराने निर्मित गृह का विनियमितिकरण करने का ही प्रावधान है न कि बाड़ा व खाली भूखण्ड के रूप में पट्टा देने का। नियम 157 के तहत पुराने मकानों का ही नियमन किया जा सकता है परन्तु मिसल में स्पष्ट नहीं किया गया है कि नियमन शुदा भूमि पर मकान बना हुआ है या नहीं। राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि जैसे बाड़ा व भूखण्ड का अन्तरण करने का प्रावधान है, परन्तु आबादी भूमि उपपंजीयक द्वारा नियत और विकास अधिकारी द्वारा गांव की विद्यमान बाजार कीमत के रूप में संसूचित कीमत से नीचे किसी दर पर अंतरित नहीं हो सकती। आलौच्य पट्टे 260/- रुपये में जारी किये गये जो विधि विरुद्ध है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पक्ष में मिसल संख्या 05 एवं 06/2017 एवं उसके अनुसरण में पट्टा संख्या 05 व 06 दिनांक 21.05.2017 को जारी किये गये जो निरस्त योग्य है, परिणामस्वरूप: पंचायत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा आलौच्य पट्टा संख्या 05 व 06 जारी दिनांक 21.05.2017 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय को विधि अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख भिजवाया जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।